न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 32 सन 2008

अनवान :–

1. किसनाराम पुत्र चान्दीया वल्द दयाला जाति चुहड़ा साकिन भूकरका तहसील नोहर ।
2. राजेराम पुत्र चान्दीया वल्द दयाला जाति चुहड़ा साकिन भूकरका तहसील नोहर
3. भांदरराम पुत्र चान्दीया वल्द दयाला जाति चुहड़ा साकिन भूकरका तहसील नोहर

सायलान

बनाम

1. शरबती बेवा किसानाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. ओकाराराम वल्द गणेशाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. बृजमोहन पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. रामगोपाल पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. मु0 गोरादेवी बेवा लिछमणराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. प्रेम वल्द मोमन जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
9. विधादेवी बेवा अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
10. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
11. बनाराम पुत्र खियाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
12. अर्जनराम पुत्र खियाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
13. शारदा पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता गैरसायल
श्री महेश चन्द अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 11/07/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा सायलान के पिता चान्दीया वल्द दयाला जाति चुहड़ा द्वारा रोही मौजा भूकरका के साबिका खसरा संख्या 642 की 33.07 बीघा व खरसा संख्या 346 की 64.14 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा कृषि भूमि थी जो सम्वत 2001 में तत्कालीन भूकरका के जागीरदार से रकम के बदले में ली थी तथा जगीरदार को लगान अदा करते आ रहे है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रर्वतन के वक्त भी तथा पूर्व में भी वे वास्तविक एव भौतिक तौर काबिज थे तथा कागजात माल में उक्त भूमि चान्दीया के नाम दर्ज थी तथा वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे

चांदीया वल्द दयाला साबिका खसरा संख्या 642 की 33.07 बीघा व साबिका खसरा सख्या 436 की 65.14 बीघा को अपने जीवन में काश्त करते रहे थे चान्दीया वल्द दयाला सम्वत 20–27 पूर्व देहान्त हो गया था उसकी मृत्यू के बाद सायलान एव दावा में दीगर प्रतिवादी संख्या 14 उनके उतराधिकारी है तथा वे वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है।

साबिका खसरा संख्या 642 के हाल खसरा संख्या 484 एव 484/1 व साबिका खसरा 436 के हाल खसरा संख्या 441 ,442 ,443 ,44 में भूमि गत पैमाईश परिर्वतन पैमुद हो चुकी है।

पैमाईश में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा रोही मोजा भूकरका की खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2029 ता 2038 बनाई गई जिसमें खसरा संख्या 642 मिन की 33.07 बीघा भूमि तो वादीगण /सायलान के नाम सही दर्ज कर दी परन्तु साबिका खसरा सख्या 436 की भूमि हाल खसरा संख्या 441 ,441/1 में गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम कुल 4.274हैक व हाल खसरा संख्या 442 में लिछमणराम के नाम वर्तमान में गैरसायल संख्या 3 ता 7 के नाम 4.274हैक व हाल खसरा संख्या 443 में गैरसायल संख्या 8 के नाम 4.287हैक व हाल खसरा संख्या 444 में गैरसायल संख्या 9 ता 13 के नाम 4.287हैक दर्ज कर दी जो गैरसायल संख्या 1 ता 13 के नाम बिना किसी हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अधिकार के अवैध एव अनुचित तौर से दर्ज की कर दी उक्त भूमि सायलान के पिता की नोतोड करदा खातेदारी भूमि थी गैरसायलान के नाम बिना अधिकार दर्ज की गई है।

भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा किया गया इन्द्राज गैरकानुनी व अवैध तौर से दर्ज किया गया है जिसे संशोधन करवा पाने के अधिकारी है गैरसायलान ने पश्चातवर्ती जमाबन्दी से उत्साहित होकर एव गरीब व्यक्ति होने का नाजायज फायदा उठाकर उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है जिसे सायलान बेदखल करवा पाने के अधिकारी है।

सायलान की खातेदारी भूमि को अपने नाम कतई गलत तौर से दर्ज करवाई गई है एव नाजायज तौर से मौक पर बैठ है राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 42 के अनुसार गैरसायल का कब्जा व उनके नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कतई गलत व अवैध है जिसे सायलान दुरूस्त करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

उक्त गलत इन्द्राज से उत्साहित होकर गैरसायलान वाद भूमि को खूर्द बुर्द करने की योजना बना रहे है यदि गेरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा भूकरका के खसरा संख्या 441 से 444 की कुल 65.14 बीघा भूमि का रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तिकल नही करे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 शरबती के वारिसान की और से हरसिह अधिवक्ता , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ,8/3 से 8/7 , 10, 11/2 से 11/5 की और से महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित शेष प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

गैरसायल 1 शरबती के वारिसा रमेश कुमार पुत्र हसराम के अधिवक्ता ने सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की दावा व प्रार्थना पत्र 01.04.2008 को प्रस्तुत किया गया था तभी से तलबी पर चल रहा है प्रतिवादी संख्या 1 शरबती फोत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1/1 हसराज की तल्बी आज तक नही की गई है अब हसराज दिनांक 03.04.2018 को फोत हो चुका है जिसके वारिसान को ना तो पक्षकार बनाया गया है ना ही तलबी करवाई गई है इसके अलावा वादीगण किशनाराम व भादरराम काफी समय पहले फोत हो चुके है उसके वारिसान को भी अन्दर मियाद दावा में कायम मुकान नही बनाये गये है तथा इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 5 जगदीश प्रसाद 8 वर्ष पूर्व व0 प्रतिवादी संख्या 6 रामगोपाल 5 वर्ष पूर्व फोत हो चुके है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 8/1 बादोदेवी व 8/2 सुरजाराम 8/8 कलावती करी दो वर्ष पूर्व फोत हो चुके है प्रतिवादी संख्या 9 विधादेवी 6 माह पूर्व फोत हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 11/1 पूरादेवी 6 साल पूर्व एवं प्रतिवादी संख्या 12 अर्जनराम 7 साल पूर्व तथा प्रतिवादी संख्या 13 शारदा 10 साल पूर्व फोत हो चुकी है इनके वारिसान को पक्षकार नही बनाये जाने की कार्यवाही आज तक नही की गई है इसलिये प्रार्थना पत्र अवैट हो चुका है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 3 ,4 ,8/3 से 8/7 , 10, 11/2 से 11/5 के अधिवक्ता ने जबाब पेश किया की

यह प्रार्थना पत्र दर्ज वादीगण /सायलान किशनाराम , भादरराम फोत हो चुके है तथा गैरसायल संख्या 1 शरबती व गैरसायल संख्या 1 व उसका लडका हसराज फोत हो चुका है गैरसायल संख्या 2 भादरराम व गैरसायल संख्या 5 जगदीश प्रसाद , गैरसायल संख्या 6 रामगोपाल गैरसायल संख्या 7 रामगोपाल गैरसायल संख्या 8/1 बादोदेवी 8/2 सुरजाराम 8/2 सुरजाराम 8/8 कलावती व गैरसायल संख्या 9 विधादेवी 11/1 पुरादेवी 12 अर्जन 13 शारदादेवी फौत हो चुके है मृतको के विरूद्व प्रार्थना पत्र विचाराधीन नही रह सकता अवैट हो चुका है खारिज फरमावे।

प्रार्थना पत्र चान्दिया की भूमि मानकर प्रार्थना पत्र/दावा पेश किया गया है जो विधिविरूद्व है क्योकि चान्दिया ने इसी आधार पर सन 1966 में वाद पेश किया गया था जिसमें स्वय चान्दिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी मिसल को खारिज करवाया गया था तथा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि लिछमण आदि का कब्जा काश्त में भूमि है मे कार्यवाही नही चाहती तथा उसके पश्चात मु0 मोहरा आदि बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय एसडीओ कोट नोहर में विचाराधीन था जिसमें चान्दिया द्वारा हल्फन ब्यान किया था कि रोही मौजा भूकरका के साबिका खसरा 436 की 67.14 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की मोहर के प्रतिवादीगण व पिता लिछमण के कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

की भूमि है तथा उनके फोत होने पश्चात उसके वारिसान के कब्जा काश्त में है चान्दिया का नाम गिरदावरी में भूलवंश दर्ज हुआ है तथा चान्दिया के परिवार के कभी काश्त नही किया है जिससे मौजुदा सायलान पाबन्द है। जिस दावा में चान्दिया ने हल्फन ब्यान किये वह पत्रावली /वाद माननीय राजस्व मण्डल मे दिनांक 01.10.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर को सनद देने हेतु 5 मा अर्थात 150 दिन का समय दिया गया था किन्तू मौजुदा प्रार्थना पत्र के कारण माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना नही हो रही है।

वाद भूमि में कुछ भूमि लिछमण आदि के वारिसान की खातेदारी हो चुकी है तथा विक्रय भी हो चुकी है तथा शेष बची भूमि की खातेदारी सनद जारी करने की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी के द्वारा की जानी है।

चान्दिया का विवादित बिन्दु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 4275/2004 में हो चुका है जो अन्तिम है जिसका ज्ञान वादी सायलान को है हस्तगत प्रार्थना पत्र में जारी स्थगन आदेश के कारण माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय/आदेश की पालना नही हो पा रही है चान्दिया के लडके राजू ने दिनांक 26.02.1992 को खसरा संख्या 436 की 67.14 बीघा भूमि में हक नही होन का शपथपत्र भी पेश किया था जिससे सायलान पाबन्द है।

वाद भूमि का आवंटन दिनांक 28.03.2008 को रामकुमार आदि को किया गया था जिसकी राशि भी जमा करवाई जा चुकी है आवंटन मौका रिपोर्ट एव अन्य तथ्यात्मक तथ्यो के आधार पर किया गया था जिसका ज्ञान भी सायलान व उसके परिवार को है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय अनुसार चलने योग्य नही है तथा सायलान का प्रार्थना पत्र मृतको के विरूद्व है मृतको के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है जबाब शामिल मिसल किया गया।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना गया ।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कीरोही मोजा सायलान के पिता चान्दीया वल्द दयाला जाति चुहडा द्वारा रोही मौजा भूकरका के साबिका खसरा संख्या 642 की 33.07 बीघा व खरसा संख्या 346 की 64.14 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा कृषि भूमि थी जो सम्वत 2001 में तत्कालीन भूकरका के जागीरदार से रकम के बदले में ली थी तथा जगीरदार को लगान अदा करते आ रहे है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रर्वतन के वक्त भी तथा पूर्व में भी वे वास्तविक एव भौतिक तौर काबिज थे तथा कागजात माल में उक्त भूमि चान्दीया के नाम दर्ज थी तथा वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे

चांदीया वल्द दयाला साबिका खसरा संख्या 642 की 33.07 बीघा व साबिका खसरा संख्या 436 की 65.14 बीघा को अपने जीवन में काश्त करते रहे थे चान्दीया वल्द दयाला सम्वत 20–27 पूर्व देहान्त हो गया था उसकी मृत्यू के बाद सायलान एव दावा में दीगर प्रतिवादी संख्या 14 उनके उतराधिकारी है तथा वे वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है।

साबिका खसरा संख्या 642 के हाल खसरा संख्या 484 एव 484/1 व साबिका खसरा 436 के हाल खसरा संख्या 441 ,442 ,443 ,44 में भूमि गत पैमाईश परिर्वतन पैमुद हो चुकी है।

पैमाईश में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा रोही मोजा भूकरका की खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2029 ता 2038 बनाई गई जिसमे खसरा संख्या 642 मिन की 33.07 बीघा भूमि तो वादीगण /सायलान के नाम सही दर्ज कर दी परन्तु साबिका खसरा संख्या 436 की भूमि हाल खसरा संख्या 441 ,441/1 में गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम कुल 4.274हैव व हाल खसरा संख्या 442 मे लिछमणराम के नाम वर्तमान में गैरसायल संख्या 3 ता 7 के नाम 4.274हैव व हाल खसरा संख्या 443 में गैरसायल संख्या 8 के नाम 4.287हैव व हाल खसरा संख्या 444 में गैरसायल सख्या 9 ता 13 के नाम 4.287हैव दर्ज कर दी जो गैरसायल संख्या 1 ता 13 के नाम बिना किसी हक अधिकार के अवैध एव अनुचित तौर से दर्ज की कर दी उक्त भूमि सायलान के पिता की नोतोड करदा खातेदारी भूमि थी गैरसायलान के नाम बिना अधिकार दर्ज की गई है।

भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा किया गया इन्द्राज गैरकानुनी व अवैध तौर से दर्ज किया गया है जिसे संशोधन करवा पाने के अधिकारी है गैरसायलान ने पश्चातवर्ती जमाबन्दी से उत्साहित होकर एव गरीब व्यक्ति होने का नाजायज फायदा उठाकर उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है जिसे सायलान बेदखल करवा पाने के अधिकारी है।

सायलान की खातेदारी भूमि को अपने नाम कतई गलत तौर से दर्ज करवाई गई है एव नाजायज तौर से मौक पर बैठ है राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 42 के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गैरसायल का कब्जा व उनके नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कताई गलत व अवैध है जिसे सायलान दुरूस्त करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

उक्त गलत इन्द्राज से उत्साहित होकर गैरसायलान वाद भूमि को खूर्द बुर्द करने की योजना बना रहे है यदि गेरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे की रोही मौजा भूकरका के खसरा संख्या 441 से 444 की कुल 65.14 बीघा भूमि का रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तिकल नही करे।

गैरसायल संख्या 1 के वारिस रमेश के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 22 यिम 3 में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की दावा व प्रार्थना पत्र 01.04.2008 को प्रस्तुत किया गया था तभी से तलबी पर चल रहा है प्रतिवादी संख्या 1 शरबती फोत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1/1 हसाराज की तल्वी आज तक नही की गई है अब हसराज दिनांक 03.04. 2018 को फोत हो चुका है जिसके वारिसान को ना तो पक्षकार बनाया गया है ना ही तलबी करवाई गई है इसके अलावा वादीगण किशनाराम व भादरराम काफी समय पहले फोत हो चुके है उसके वारिसान को भी अन्दर मियाद दावा में कायम मुकान नही बनाये गये है तथा इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 5 जगदीश प्रसाद 8 वर्ष पूर्व व0 प्रतिवादी संख्या 6 रामगोपाल 5 वर्ष पूर्व फोत हो चुके है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 8/1 बादोदेवी व 8/2 सुरजाराम 8/8 कलावती करी दो वर्ष पूर्व फोत हो चुके है प्रतिवादी संख्या 9 बिधादेवी 6 माह पूर्व फोत हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 11/1 पूरादेवी 6 साल पूर्व एवं प्रतिवादी संख्या 12 अर्जनराम 7 साल पूर्व तथा प्रतिवादी संख्या 13 शारदा 10 साल पूर्व फोत हो चुकी है इनके वारिसान को पक्षकार नही बनाये जाने की कार्यवाही आज तक नही की गई है इसलिये प्रार्थना पत्र अवैट हो चुका है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 3 ,4 ,8/3 से 8/7 , 10, 11/2 से 11/5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की

प्रार्थना पत्र दर्ज वादीगण /सायलान किशनाराम , भादरराम फोत हो चुके है तथा गैरसायल संख्या 1 शरबती व गैरसायल संख्या 1 व उसका लडका हसराज फोत हो चुका है गैरसायल संख्या 2 भादरराम व गैरसायल संख्या 5 जगदीश प्रसाद , गैरसायल संख्या 6 रामगोपाल गैरसायल संख्या 7 रामगोपाल गैरसायल संख्या 8/1 बादोदेवी 8/2 सुरजाराम 8/2 सुरजाराम 8/8 कलावती व गैरसायल संख्या 9 विधादेवी 11/1 पुरादेवी 12 अर्जन 13 शारदादेवी फौत हो चुके है मृतको के विरूद्व प्रार्थना पत्र विचाराधीन नही रह सकता अवैट हो चुका है खारिज फरमावे।

प्रार्थना पत्र चान्दिया की भूमि मानकर प्रार्थना पत्र/दावा पेश किया गया है जो विधिविरूद्व है क्योकि चान्दिया ने इसी आधार पर सन 1966 में वाद पेश किया गया था जिसमें स्वय चान्दिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी मिसल को खारिज करवाया गया था तथा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि लिछमण आदि का कब्जा काश्त में भूमि है मे कार्यवाही नही चाहती तथा उसके पश्चात मु0 मोहरा आदि बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय एसडीओं कोट नोहर में विचाराधीन था जिसमें चान्दिया द्वारा हल्फन ब्यान किया था कि रोही मौजा भूकरका के साबिका खसरा 436 की 67.14 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की मोहर के प्रतिवादीगण व पिता लिछमण के कब्जा काश्त की भूमि है तथा उनके फोत होने पश्चात उसके वारिसान के कब्जा काश्त में है चान्दिया का नाम गिरदावरी में भूलवंश दर्ज हुआ है तथा चान्दिया के परिवार के कभी काश्त नही किया है जिससे मौजुदा सायलान पावन्द है। जिस दावा में चान्दिया ने हल्फन ब्यान किये वह पत्रावली /वाद माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 01.10.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर को सनद देने हेतु 5 मा अर्थात 150 दिन का समय दिया गया था किन्तू मौजुदा प्रार्थना पत्र के कारण माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना नही हो रही है।

वाद भूमि में कुछ भूमि लिछमण आदि के वारिसान की खातेदारी हो चुकी है तथा विक्रय भी हो चुकी है तथा शेष बची भूमि की खातेदारी सनद जारी करने की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी के द्वारा की जानी है।

चान्दिया का विवादित बिन्दु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 4275/2004 में हो चुका है जो अन्तिम है जिसका ज्ञान वादी सायलान को है हस्तगत प्रार्थना पत्र में जारी स्थगन आदेश के कारण माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय/आदेश की पालना नही हो पा रही है

उप खण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

चान्दिया के लडके राजू ने दिनांक 26.02.1992 को खसरा संख्या 436 की 67.14 बीघा भूमि में हक नही होन का शपथपत्र भी पेश किया था जिससे सायलान पावन्द है।

वाद भूमि का आवंटन दिनांक 28.03.2008 को रामकुमार आदि को किया गया था जिसकी राशि भी जमा करवाई जा चुकी है आवंटन मौका रिपोर्ट एव अन्य तथ्यात्मक तथ्यो के आधार पर किया गया था जिसका ज्ञान भी सायलान व उसके परिवार को है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय अनुसार चलने योग्य नही है तथा सायलान का प्रार्थना पत्र मृतकों के विरूद्ध है मृतको के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि किसके हक हिस्सा की भूमि है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष मे है।

गैरसायलान का कथन है कि सायलान किशनाराम , भादरराम फोत हो चुके है तथा गैरसायल संख्या 1 शरबती व गैरसायल संख्या 1 व उसका लडका हसराज फोत हो चुका है गैरसायल संख्या 2 भादरराम व गैरसायल संख्या 5 जगदीश प्रसाद , गैरसायल संख्या 6 रामगोपाल गैरसायल संख्या 7 रामगोपाल गैरसायल संख्या 8/1 बादोदेवी 8/2 सुरजाराम 8/2 सुरजाराम 8/8 कलावती व गैरसायल संख्या 9 विधादेवी 11/1 पुरादेवी 12 अर्जन 13 शारदादेवी फोत हो चुके है मृतको के विरूद्ध प्रार्थना पत्र विचाराधीन नही रह सकता अबेट हो चुका है।

गैरसायलान के कथनो का विरोध सायलान के द्वारा नही किया गया ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया जिससे गैरसायलान के कथनो से इन्कार किया जा सके अर्थात प्रार्थना पत्र में सभी मृतको के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है केवल एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रतिवादी संख्या 8 ,11 के वारिसान को पक्षकार बनाने का पेश किया गया है जिसके आधार पर संशोधित शिर्षक पेश किया गया है।

सायलान ने प्रार्थना पत्र में मृतकों के वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना प्रस्तुत नही किया गया है ना ही उनकी तलबी हुई है अर्थात प्रार्थना पत्र मृतको के विरूद्ध चल रहा है जो न्यायोचित नही है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि साबिका खसरा संख्या 642 की 33.07 बीघा तो उनके पूर्वजो के नाम सही तौर से दर्ज की गई तथा साबिका खसरा नम्बर 436 की 65. 14 बीघा जिसके हाल खसरा संख्या 441, 441/1 ,442 ,443 , 444 में पैमुद की जाकर गैरसायलान के नाम कर दी गई है जो गलत है जिसे रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से खूर्द बुर्द कर सकते है का कथन कर गैरसायलान को पावन्द करवाया गया था।

"माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील संख्या 4275/2004 अनवानी मु0 मोहरा देवी बनाम सरकार में दिनांक 09.10.2019 में निर्णय पारित किया गया है उक्त निर्णय में उल्लेख किया गया है कि रोही मोजा भुकरका के साबिका खसरा संख्या 642 एव 436 चान्दिया बल्द दयाला जाति चुहडा के साथ ही खीया , गणेशा , लिछमण , प्रेम के नाम भी दर्ज है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिका खसरा संख्या 436 के नवीन खसरा संख्या 441 ,442 ,443 ,444 बने है वादीगण ने खसरा संख्या 442 के सम्बध में वाद पेश किया गया है जो लिछमणराम की गैरखातेदारी भूमि है हाल विवादित खसरा संख्या 442 वादीगण के पूर्वज लिछमण की गैरखातेदारी में दर्ज रहा है तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 28.02.2003 निरस्त किया जाकर नियमानुसार राशि जमा करवाई जाकर खातेदारी सनद जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है"

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 09.10.2019 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि साबिका खसरा संख्या 436 की भूमि में चान्दिया के साथ अन्य काश्तकारो के नाम भी अंकित है अर्थात सायलान के द्वारा अकित तथ्य साबिका खसरा संख्या 436 की 65.14 बीघा भूमि गैरसायलान के नाम गलत तौर से दर्ज की गई है साबित नही होता है सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मिथ्या प्रतीत होते है क्योकि सायलान के प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरो का निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा चुका है जिसका ज्ञान होने भी साबित होता है अर्थात सायलान का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय उपरान्त आधारहीन प्रतीत होता है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2019 में उपखण्ड अधिकारी को राशि जमा करवाने एव खातेदार सनद जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है हम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गैरसायलान के मत से सहमत है कि माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना हस्तगत प्रार्थना पत्र में जारी किये गये स्थगन आदेश के कारण नही हो पा रही है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 09.10.2019 में दिये गये निर्देशो की पालना करवाई जानी न्यायोचित है

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायलान का मृतको के विरूद्व विचाराधीन है तथा सायलान के द्वारा जिन खसरों को अंकित किया जाकर न्यायालय से अनुतोष चाहा गया था के सम्बध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2019 में पूर्ण विवेचन किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय अपास्त किया जाकर राशि जमा करवाने एव खातेदारी सदन जारी करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है अतः सायलान को प्रार्थना पत्र उक्त विवेचन अनुसार चलने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा न्यायालय/कार्यालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.04.2008 को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner